

प्रेस नोट

दिनांक 12.06.2025, थाना परसपुर

जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दुल्हन की विदाई के दौरान मार-पीट व नकदी छीनने की घटना में संलिप्त 04

आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीने गये रूपये 5130/- बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-195/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 324(2), 309(6) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना में संलिप्त 04 आरोपी अभियुक्तगण 01. शिवम सिंह, 02. अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोलू, 03. अजीत सिंह उर्फ तूफान सिंह, 04. आलोक सिंह को चरहुंवा मोड़ से गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से छीनी गयी 5130/- रूपये बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.06.2025 को वादी गंगा प्रसाद सिंह निवासी सकरोरीडीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की शादी के बाद विदाई के दौरान ग्राम चोहान पुरवा के पास विपक्षियों द्वारा गाड़ी रोककर गाली-गलौज, मारपीट, वाहन के साथ तोड़फोड़ की गई तथा दुल्हे से नकदी छीनने की घटना को अंजाम दिया गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 12.06.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त 04 आरोपी अभियुक्तगण 01. शिवम सिंह, 02. अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोलू, 03. अजीत सिंह उर्फ तूफान सिंह, 04. आलोक सिंह को चरहुंवा मोड़ से गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से छीनी गयी 5130/- रूपये बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शिवम सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह निवासी उमरावपुरवा राजापुर, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोलू पुत्र देव नारायण सिंह निवासी हट्टीपुरवा मलाव थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. अजीत सिंह उर्फ तूफान सिंह पुत्र हर्षवर्धन सिंह निवासी चरहुवा परसनपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. आलोक सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी गलिबहा मधईपुर खाण्डेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-195/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 324(2), 309(6) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. रूपये 5130/-(छीनी गई धनराशी) बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 रविप्रकाश यादव
02. उ0नि0 सौरभ वर्मा
03. उ0नि0 दिनेश सिंह
04. उ0नि0 अमित गुप्ता
05. का0 राजेश यादव
06. का0 राहुल पटेल
07. का0 निशान्त सिंह
08. का0 अमित यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.06.2025, थाना को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा स्कूटी चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी का स्कूटी बरामद।

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी करने के आरोपी अभियुक्त 01. रमेश दूबे पुत्र शेषनरायन दूबे निवासी बौनापुर थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का एक अदद इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2025 को वादी मनोज पुत्र मेघनाथ चौहान निवासी लमती बेनीपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0मनकापुर को सूचना दिया की दिनांक 09.06.2025 को अपनी मोबाइल की दुकान के सामाने इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी की थी जिसको किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। काफी खोजबीन किया किन्तु नहीं मिला। तहरीर के आधार पर थाना को0मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में तकनीकी साक्ष्य/मैनुअल साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त - रमेश दूबे पुत्र शेषनरायन दूबे निवासी बौनापुर थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का एक अदद इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमेश दूबे पुत्र शेषनरायन दूबे निवासी बौनापुर थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-262/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी की 01 अदद इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 योगेश यादव
02. हे0का0 अखिलेश सिंह
03. का0 आयुष यादव
04. का0 पारस यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.06.2025, मॉनिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्षों का सश्रम कारावास व रु० 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त 01. रामबहाल खटिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहरीर म0का0सुमन व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोण्डा श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय गोण्डा द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. रामबहाल खटिक पुत्र बाबूलाल खटिक निवासी खिरौरा मोहन, थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -240/2002 धारा 307, 411 भादवि व 3(1)यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.06.2025, थाना खरगपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 खरगपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-113/2025 धारा 115(2), 352, 351(3), 109,. 118(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों-01. रिकू, 02. बब्लू, 03. शिवाकान्त को गोकर्णनाथ शिवाला के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2025 को वादी मोहित पुत्र फूलचन्द्र ग्राम निवसी खरगपुर बाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगपुर पर सूचना दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा उसे व उसके भाई को जान से मारन की नियत से मारे पीटे है जिससे उसके भाई को गम्भीर चोटें आयी है। जिसकी दवा इलाज चल रहा है। वादी की लिखित तहरीर पर थाना खरगपुर में सुसंगत धाराओं के अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12.06.2025 को थाना खरगपुर पुलिस द्वारा मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तगण अभियुक्तों-01. रिकू, 02. बब्लू, 03. शिवाकान्त निवासी कालीथान कस्बा व थाना खरगपुर जनपद गोण्डा को गोकर्णनाथ शिवाला के पास गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खरगपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रिकू पुत्र जनार्दन निवासी कालीथान कस्बा व थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।
02. बब्लू पुत्र जनार्दन निवासी कालीथान कस्बा व थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।
03. शिवाकान्त पुत्र बब्लू निवासी कालीथान कस्बा व थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-113/2025 धारा 115(2), 352, 351(3), 109,. 118(2) बीएनएस थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव
02. का0 सुजीत कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.06.2025

‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2022 को थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत दहेज के लिए प्रताडित करते हुए जान से माने की सूचना पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें परसपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री विनय कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 10.01.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.06.2025 को थाना परसपुर में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना परसपुर के पैरोकार शशिकान्त व कोर्ट मोहरीर का० शिवपाल के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी (ASJ) श्री राजेश कुमार -3 द्वारा अभियुक्त-01. राजितराम पुत्र नन्दलाल गौतम निवासी जोगिया माझा खालेपुरवा चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध करते हुए को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रू० 30,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. राजितराम पुत्र नन्दलाल गौतम निवासी जोगिया माझा खालेपुरवा चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु० अ० सं० 622/2023 धारा 498ए, 304बी भादवि 3/4 डी० पी० एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।